POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 09

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 सितम्बर, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जॉग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

देश के पांच राज्यों में चुनाव नजदीक आ गए हैं। इस वक्त पर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो वह एकदम जाग गया है और उनकी नजरें सिर्फ वोट बैंक पर टिकी है। जनता को घोषणाओं और वादों का रस घोल-घोल कर पिलाने का खेल शुरू हो गया है।

यह खेल 1952 में जब पहली बार जनता ने अपना कीमती वोट देकर सरकार को चुना था, शायद तभी से अब तक बरकरार है। इतने सालों के बाद भी हम देखते आ रहे हैं कि चुनाव सुधारों की दिशा में जितना काम होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। कुछ सालों से हम चुनावों में नवाचारों और सुधारों की दिशा में बढ़ते नजर तो आते हैं, लेकिन उनके प्रत्यक्ष नतीजे आने बाकी हैं।

मसलन, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चन्दे में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, चुनाव को धन-बल से मुक्त करने, दल बदलने पर रोक लगाने, जातिवाद को बढ़ावा न देने, घोषणाओं को समय पर अमल में लाने जैसी कई बातें होती तो हैं, लेकिन पूरी होती दिखाई नहीं देती। दरअसल, अभी भी राजनीतिक दल सिर्फ वोट बटोरने के लिए तत्कालीन घटनाओं और लोगों की भावनाओं के मद्देनजर न केवल बढ़-चढ़ कर घोषणाएं करते हैं बल्कि मुफ्त की सौगातें देने के वादे भी करते हैं।

चुनाव सुधारों की दिशा में चुनाव आयोग अभी भी पूरी तरह सशक्त नहीं है। उसे अधिक अधिकार दिए जाकर सशक्त बनाना बेहद आवश्यक है। साथ ही हमें प्रशासनिक सुधारों की भी बड़ी आवश्यकता है। ताकि प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी के साथ देश में विकास की मानसिकता के साथ शासन करने में सक्षम बनें और चुनावी वादों को समय पर पूरा करने की दिशा में काम करें। इससे आम जनता में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास कायम होगा।

शुगर-फ्री मीठे उत्पादों के लेबल पर अनिवार्य हो सकती है चेतावनी

शुगर-फ्री मीठे उत्पादों के लेबल पर कंपनियों के लिए ये चेतावनी देना अनिवार्य हो सकता है कि इनमें सेहत के लिए हानिकारक तत्व है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने स्टेविया और एस्पार्टेम जैसे चीनी के वैकल्पिक उत्पादों को सेहत के लिए घातक बताया है।

अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि इनसे टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियां हो सकती है। इसके बाद भारतीय खाद्य नियामक (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में मानक सख्त करने के लिए नई गाइडलाइंस पर विचार कर रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक, ब्रेकफास्ट आइटम्स, कुछ खास तरह के जूस और आइसक्रीम कंपनियां अपने उत्पादों में चीनी की जगह स्टेविया और एस्पार्टेम जैसे स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर इन्हें सेहत के लिए अच्छे विकल्प के तौर पर प्रचारित करती हैं।

खाद्य नियामक इस ट्रेंड पर लगाम कस सकता है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस सोढ़ी का कहना है कि यदि एफएसएसएआई बिना चीनी वाले मीठे उत्पादों के लेबल पर चेतावनी का उल्लेख करने के लिए कहता है तो यह निश्चित रूप से शुगर-फ्री उत्पादों और ड्रिंक्स की खपत को प्रभावित करेगा। अब ग्राहक लेबल को संजीदगी से लेते हैं।

ट्रेन में हुई चोरी तो रेलवे को करनी होगी भरपाई

ट्रेन में चोरी, लूटपाट, स्नेचिंग अथवा सामान गुम होने पर रेलवे को भरपाई करनी होगी। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अहम फैसला दिया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ट्रेन में घुसे अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चोरी या लूटपाट की जाती है तो वारदात से यात्री को हुए नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी रेलवे की ही होगी।

मामले के अनुसार वर्ष 2016 में उमा अग्रवाल रेलवे के एसी कोच में बीकानेर से दिल्ली का सफर कर रही थी। उनके पास पर्स में कीमती सामान था। उनके रिजर्व डिब्बे में एक अनधिकृत व्यक्ति ने प्रवेश किया और उनके हाथ से जबरदस्ती वह पर्स छीनकर भाग गया। उन्होंने मामले की शिकायत रेलवे अधिकारियों को भी की। मामले की सुनवाई नहीं होने पर हारकर उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई पर आयोग ने रिजर्व डिब्बे में अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रेलवे की लापरवाही माना।

आयोग ने रेलवे को आदेश दिया कि वह उमा अग्रवाल को हुई क्षति की भरपाई के रूप में 4 लाख 60 हजार रुपए मय ब्याज के अदा करे। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के तौर पर 50 हजार रुपए और केस खर्च के 10 हजार रुपए भी दें।

'आधार' से पकड़ी योजनाओं में चोरी

तकनीक के इस्तेमाल से 312 सरकारी योजनाओं में धन की लूट रोकने में केंद्र सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। यह सब संभव हुआ है जनधन-आधार- मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी स्कीम से। अब तक सरकार ने 312 सरकारी योजनाओं में 2.73 लाख करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी है।

सरकार ने अब तक 312 योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 29 लाख 84 हजार 412 करोड़ रुपए भेजे हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जोड़े जाने से कागजों में हेरफेर कर जरूरतमंदों का हक डकारने पर अंकुश लगा है। तकनीक से फर्जीवाड़े को पकड़कर योजनाओं के लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में बड़ी कामयाबी मिली है। तकनीक से फर्जी एलपीजी कनेक्शन, राशन कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड जैसी कई अन्य योजनाओं में गड़बड़ियों की पोल खुली और धनराशि की लूट बंद हुई है।

वोट का हक... पर मौलिक अधिकार नहीं!

सुप्रीम कोर्ट ने अचरज जताया कि लोकतंत्र, संविधान का एक अनिवार्य पहलू होने के बावजूद देश में वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। जबकि वोट का हक, स्वतंत्रता और स्वराज के लिए हुई लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम है।

मताधिकार नागरिकों का अपरिहार्य अधिकार है। लोकतंत्र को संविधान की आवश्यक

विशेषताओं में एक हिस्सा माना गया है। फिर भी कुछ हद तक विरोधाभासी रूप में वोट देने के अधिकार को अभी तक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसे मात्र एक वैधानिक अधिकार माना गया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव में किसी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का मतदाता को संवैधानिक अधिकार है।

मनरेगा मजदूरों की बढ़ाई जाए दिहाड़ी

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय समिति ने मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने की सिफारिश की है।

पैनल ने अपनी सिफारिश में कहा है कि मनरेगा के तहत अभी जितनी दिहाड़ी दी जा रही है उससे ज्यादा दिहाड़ी दिए जाने की जरूरत है। पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि मनरेगा के तहत दिहाड़ी को बाजार दरों के करीब लाया जाए और ग्रामीण महंगाई के आधार पर हो वार्षिक बढ़ोतरी। साथ ही मजदूरी में वार्षिक बढ़ोतरी के अतिरिक्त हर पांच साल में समीक्षा भी होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में युवा ला रहे बदलाव

अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में महिलाएं और युवा नया बदलाव ला रहे हैं। खास बात यह है कि अब यहां के बाशिंदों ने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से कश्मीरी कालीन और पश्मीना शॉल बनाने के काम में काफी तेजी आई है।

अब महिलाएं तरह-तरह के इनोवेटिव तरीकों से कालीन और पश्मीना शॉल बना रही हैं। नए-नए स्टार्टअप खड़े हो रहे हैं। डिजाइनर शाहनवाज सोफी बताते हैं कि पहले डिजाइन बनाने में 3-4 महीने लग जाते थे लेकिन अब सॉफ्टवेयर से काम तेज हुआ है। कालीन, पश्मीना शॉल और क्रिकेट बैट आदि का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। करीब 90 प्रतिशत सामान विदेश जाता है।

महिलाएं समृद्ध तो होगी खुशहाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया खुशहाल होती है। उनका आर्थिक सशक्तीकरण विकास को बल देता है। शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को प्रेरित करती है। उनका नेतृत्व समावेशिता को बढ़ावा और उनके विचार सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करते हैं।

मोदी ने महिला सशक्तीकरण पर जी-20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला नेतृत्व वाले विकास का दृष्टिकोण है। भारत इस दिशा में कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एक प्रेरक उदाहरण है। साधारण जनजातीय पृष्ठभूमि से आने वाली मुर्मु सबसे बडे लोकतंत्र का नेतृत्व करती है। साथ ही दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रक्षा बल की कमांडर-इन-चीफ हैं।

गरीबी से बाहर निकले लोग

संयुक्त राष्ट्र के बाद अब नीति आयोग ने भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में वर्ष 2015-16 में 24.85 प्रतिशत लोग गरीब थे, जो वर्ष 2019-21 में कम होकर 14.96 प्रतिशत रह गए। पिछले पांच साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट आई है और यह 32.59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत रह गई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65 प्रतिशत से घटकर 5.27 प्रतिशत रह गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है। नीति आयोग ने कहा कि स्वच्छता, पोषण अभियान, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डॉक्टर लिखें पर्चे पर जेनेरिक दवाएं

अब डॉक्टरों को मरीज के पर्चे पर जेनेरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। पंजीकृत डॉक्टर इन दवाओं को साफ अक्षरों में लिखें। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) नई दिल्ली के नए नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित हो सकता है।

केंद्र सरकार भी अनेकों बार जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश जारी कर चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जेनेरिक दवाओं का भी किसी बीमारी पर असर ब्रांडेड के समान होता है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत देशभर में संचालित केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से 70 से 90 फीसदी तक सस्ती होती हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रयास जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रभाव सबसे अधिक गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। भ्रष्टाचार संसाधनों और बाजार मूल्यों को प्रभावित करता है। इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता कम होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक प्रयास आवश्यक है।

कोलकता में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी जी-20 की मंत्रिस्तरीय बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में 'भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस' की सख्त नीति है। उन्होंने कहा कोरोना वायरस काल में गरीबों के लिए हमारी मुफ्त राशन योजना की दुनिया भर ने सराहना की है। कोरोना अवधि के दौरान हमारी सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी खाली पेट नहीं सोएगा।

प्रदेश में अब 10 संभाग और 50 जिले

प्रदेश में अब जिले 33 से बढ़कर 50 और संभाग 7 से बढ़कर 10 हो गए हैं। आजादी के बाद राज्य का यह सबसे बड़ा पुनर्गठन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नए जिलों का गठन विकास, निवेश व कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए किया गया है।

जयपुर के बिडला सभागार में आयोजित प्रदेशस्तरीय समारोह में 07 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा और हवन में आहुतियां दीं और विधिवत मंत्रोच्चार के बीच नए जिलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वीसी के जरिए नए 17 जिलों में मंत्री-विधायक और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम से जुड़े और जिलों की आधार शिला रखी। नए संभागों एवं जिलों में पुलिस-प्रशासन और मुखिया लगा दिए गए हैं।

आदिवासी बनें विकास में भागीदार...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि जिस दिन जनजातीय समाज उन्नत हो जाएगा, भारत विश्व में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति-रिवाज और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखते हुए हमारे जनजातीय समुदाय के भाई-बहन और युवा आधुनिक विकास में भागीदार बनें।

यह बात राष्ट्रपति ने रवींद्र भवन में आयोजित 'उत्कर्ष और उन्मेष' उत्सव के शुभारंभ पर कही। उन्होंने कहा कि भारत में 700 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं और इससे दोगुना उनकी भाषाएं। सभी भारतीय भाषाओं की प्रमुख पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हो, इससे भारतीय साहित्य और अधिक समृद्ध हो सकेगा।

विद्युत उपभोक्ताओं का सशक्तीकरण

भारत सरकार द्वारा पारित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020

सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 के तहत 31.12.20 को विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार)नियम, 2020 पारित किया है। इन नियमों के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि वितरण कंपनियों द्वारा किसी प्रकार की अनावश्यक/जानबूझकर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी।

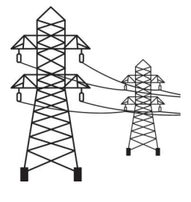

इन नियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 24x7(आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं की श्रेणियों को छोड़कर) विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया गया है और यदि वितरण कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग का सहारा लेती है तो उपभोक्ताओं को वितरण कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने भी विभिन्न सेवाओं के लिए वितरण कंपनी द्वारा लिए जाने वाले अधिकतम समय के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जिनमें कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन, शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी और लोड में परिवर्तन, बिल संबंधी सेवाएं और वाल्टेज तथा बिल संबंधी शिकायतें का समाधान शामिल है।

इन सेवाओं को प्रदान करने में किसी प्रकार का विलंब होने पर वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए संबंधित डिस्कॉम की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कद्दू' जयपुर